सत्र प्रकरण क्रमांक 93/2025 शासन वि. विरेन्द्र कुमार कुर्रे व 04 अन्य

Witness No...01 for अभियोजन साक्ष्य Deposition taken the 25.03.2026 day of बुधवार Witness's apparent age 25 वर्ष, States on affirmation शपथपूर्वक my name is **रानी कुर्रे** पति of श्री नरेश कुमार कुर्रे occupation कुछ नही address ग्राम–बिलारी, थाना–शिवरीनारायण, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

समयः 12:40 से 2:00 बजे–

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री के०एन० कश्यप अपर लोक अभियोजन वास्ते शासन

01– मैं आरोपीगण को जानती हूं । आरोपी विरेन्द्र मेरे ससुर है, कांति सास है, राकेश, राजेश मेरे देवर है । आरोपी रामशंकर, राकेश राजेश का दोस्त है । मृतक नरेश कुमार मेरे पति है । प्रार्थी किशोर कुमार कुर्रे मेरे दादा ससुर है । आहत कृष्ण कुमार मेरे चाचा ससुर है ।

02– घटना दिनांक– 02.06.2025 की सुबह लगभग 09.00 बजे ग्राम–बिलारी, हमारे घर की है । घटना के समय मैं घर में खाना बना रही थी, मेरे ससुर विरेन्द्र कुमार कुर्रे है, जिसकी दो पत्नियां है, पहली पत्नी सुशीला कुर्रे है जिसकी बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है । सुशीला की ओर से एक लड़का नरेश कुमार था जिसकी इस घटना में मृत्यु हो गई । विरेन्द्र कुर्रे की दूसरी पत्नी कांति की ओर से दो संतान है– आरोपी राकेश, राजेश है । आरोपी विरेन्द्र कुर्रे अपनी पत्नी कांति एवं आरोपी राकेश एवं राजेश के साथ परिवार सहित अंबिकापुर के ग्राम भटगांव में रहते है । आरोपी विरेन्द्र कुमार मेरे दादी के जगह में SECL में नौकरी कर रहा है । आरोपी विरेन्द्र कुमार का सर्विस नामिनी में मेरे पति का नरेश कुमार कुर्रे का नाम है ।

03– घटना के दो दिन पूर्व आरोपीगण गांव में आकर घर में रह रहे थे । गांव में 0.23 एकड़ जमीन मेरे काका ससुर और आरोपी विरेन्द्र कुमार कुर्रे के नाम पर है, उस जमीन को लेकर कई बार विवाद हो चुका है । जमीन बंटवारा का विवाद भी हमारे परिवार में चल रहा था । घटना दिनांक को मेरे दादा ससुर किशोर कुमार को मेरे सौतेली सास कांति एवं सभी आरोपीगण घेर लिये, बोले की अभी का अभी सब जमीन का खाता विभाजन

करवाओं पर्ची फोड़वाओं कहकर दादा जी किशोर कुमार को मारपीट करना शुरू कर दिये। मेरे दादा जी किशोर कुमार आरोपीगण को बोले कि विरेन्द्र कुमार को नौकरी दिये है, नौकरी कर रहा है और जमीन को नरेश कुमार के नाम पर रहने दो इतने में मेरी सौतेली सास कांति बोली कि "साला डोकरा तेरे नाम से जमीन बंटवारा नही हो रहा है," कहकर धक्का मुक्की मारपीट करना शुरू कर दिये । जिसे सुनकर मेरे पति नरेश कुमार आया और बोला की दादा जी किशोर कुमार को क्यो मारपीट कर रहे हो, इतने में आरोपीगण गुस्से में आ गये और अभियुक्त रमाशंकर और विरेन्द्र मेरे पति नरेश कुमार को पकड़ लिये और हाथ मुक्का से मारपीट करना चालू कर दिये ।

04– आरोपीगण कार में चाकू, कत्ता आदि हथियार लेकर आये थे । कार से निकालकर आरोपी राजेश चाकू लेकर और राकेश कत्ता लेकर और आरोपी कांति बास की डंडा लेकर मेरे पति नरेश कुमार को मारना शुरू कर दिये । मेरे पति नरेश कुमार के सिर, गला, गर्दन, होंट में गंभीर चोट आया । घटना के समय मैं 08 माह कि गर्भवती थी, बीच बचाव के लिये मैं आयी तो आरोपीगण मेरे साथ हाथ मुक्का लात से मेरे पेट को मारे तब मैं गिर गई तो मेरे काकी सास शशिकला मुझे बचाने के लिये घटना स्थल से खीचकर ले गये। उसके बाद मेरे काका ससुर कृष्ण कुमार कुर्रे ने मेरे पति नरेश कुमार को मारने से बीच बचाव किये तो आरोपीगण उसी चाकू, उसी हथियार, उसी कत्ता से मारपीट किये तब उससे भी गंभीर चोट लगी ।

05– आरोपीगण मेरे पति नरेश कुमार एवं कृष्ण कुमार को मर गया समझकर अपने हथियार को लेकर चले गये । सभी आरोपीगण मिलकर एक राय होकर मारपीट किये है तथा जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे । घटना को गांव के चंदराम महिलांगे एवं गांव के अन्य लोग देखे है । घटना के तत्काल बाद मेरे पति नरेश कुमार को शासकीय अस्पताल पामगढ़ लेकर गये उसकी हालत गंभीर होने से प्रारंभिक उपचार कर बेहतर ईलाज हेतु सिम्स अस्पताल बिलासपुर रिफर कर दिये ।

06– मेरे पति नरेश कुमार को सिम्स अस्पताल में भर्ती कर डॉक्टर ने ईलाज करना शुरू किया, तभी बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है । आरोपीगण के मारपीट करने के कारण ही मेरे पति की मृत्यु हुई है, आरोपीगण मेरे पति को इसलिये मारे थे कि उसका नाम नामिनी से हट जाये तथा मेरे पेट में इसलिये मारे थे कि वंश भी खत्म हो जाये ।

07– नरेश कुमार के शव का पंचनामा कराने हेतु मुझे बुलाया गया था । जो मृत्यु जांच नोटिस **प्र०पी–01** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । नरेश कुमार के शव का पंचानामा कराया गया था, नक्शा पंचायतनामा **प्र०पी–02** है, जिसके अ से भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । पुलिस वाले सीएचसी पामगढ़ ले जाकर मेरे मुलाहिजा कराये थे । पुलिस वाले मेरा आधार कार्ड एवं फोटो लिया था तथा पूछताछ कर घटना के संबंध में मेरा बयान लिया था ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अनुप मजूमदार अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण:–</u>

08– मेरे पुलिस ने दो बार बयान लिया है । मेरा प्रथम बार बयान पुलिस के द्वारा दिनांक– 02.06.2025 को लिया गया था एवं दूसरी बयान 07.06.2025 को लिया गया था ।

09– यह कहना सही है कि आरोपी विरेन्द्र के नौकरी के दस्तावेजों मे नामिनी के रूप में मेरे पति नरेश कुमार का नाम चला आ रहा था । यह कहना गलत है कि आरोपी विरेन्द्र वेतन मिलने पर प्रत्येक माह मेरे पति को पैसा भेजता था तथा गांव आने पर मुझे तथा मेरे पति को नगद पैसा देता था ।

10– यह कहना सही है कि आरोपीगण जब अंबिकापुर से आये थे तब उन्हे रहने के लिये एक कमरा को दिये थे । यह कहना सही है कि हम लोग उन्हे खाना पिना बनाकर नही देते थे । मुझे इस बात की जानकारी नही है कि आरोपीगण गांव में रहने के दौरान होटल से खाना मंगवाकर खाते थे । घर में खाना नही बनाते थे ।

यह कहना गलत है कि हम लोग उन्हे खाली रहने के लिये कमरा दिये थे, किचन बर्तन वगैरह नही दिये थे । हम लोगों का घर 04 कमरे का है तथा एक बड़ा परछी है । यह कहना सही है कि मेरे चाचा ससुर कृष्ण कुमार का घर हमारे घर से लगा हुया दूसरा घर है ।

11– यह कहना सही है कि गांव में कुछ जमीन आरोपी विरेन्द्र एवं कृष्ण कुमार के नाम पर है तथा कुछ जमीन मेरे दादा ससुर किशोर कुमार के नाम पर है । यह कहना सही है कि गांव के किसी भी जमीन का हिस्सा बंटवारा नही हुआ है । यह कहना सही है कि आरोपी विरेन्द्र हमारे घर के पास में ही अपने नाम पर कुछ जमीन खरीदा है ।

12– मुझे इस बात की जानकारी नही है कि आरोपी विरेन्द्र जब भी अपने पिता किशोर एवं भाई कृष्ण कुमार से अपने हिस्से बंटवारे की बात करता था तब कृष्ण कुमार जमीन का हिस्से बंटवारा देने में मना करता था ।

13– यह कहना सही है कि घटना के समय मेरा पति नरेश, चाचा ससुर कृष्ण कुमार एवं उसकी पत्नी धान भरने का काम कर रही थी । यह कहना सही है कि उस समय मैं घर के अंदर किचन में खाना बना रही थी । यह कहना सही है कि जब वे लोग धान भर रहे थे तब वही पर मेरे दादा ससुर किशोर कुमार से आरोपी विरेन्द्र अपने पर्ची को अलग करने के लिये बातचीत कर रहे थे । यह कहना गलत है कि आरोपी विरेन्द्र कुमार कुर्रे के द्वारा जमीन के पर्ची अलग करने की बात को सुनकर कृष्ण कुमार उसकी पत्नी एवं मेरा पति नरेश सभी एकराय होकर आरोपी विरेन्द्र कुर्रे को पकड़ लिये तथा जमीन का कोई हिस्सा बंटवार तुम्हे नही देंगे करकर मारपीट किये ।

टीप:– चायकाल होने के कारण प्रतिपरीक्षण स्थगित किया जाता है ।

साक्षी को पढकर सुनाया, समझाया गया
सही होना स्वीकार किया गया ।

मेरे निर्देश पर टंकित ।

सही/–
(प्रियंका अग्रवाल)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर
जिला जांजगीर चांपा (छ०ग०)

सही/–
(प्रियंका अग्रवाल)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर
जिला जांजगीर चांपा (छ०ग०)

टीपः- चायकाल पश्चात् पुनः प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया ।

समयः 03:00 से 3:40 बजे–

14– यह कहना गलत है कि जब मेरे पति और चाचा, चाची तथा उसका बेटा सुरेन्द्र आरोपी विरेन्द्र के साथ मारपीट कर रहे थे तब उसे छुड़ाने के लिये आरोपी कांति स्वतः राकेश और राजेश आये थे । यह कहना गलत है कि मेरे पति तथा चाचा कृष्ण कुमार एवं उसके बेटे सुरेन्द्र के मारपीट करने से आरोपी विरेन्द्र,राजेश, राकेश एवं रमाशंकर तथा कांति को चोट लगी थी । मुझे इस बात की जानकारी नही है कि आरोपी राजेश को मारपीट से लगी चोट के कारण शिवरीनारायण हास्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां कई दिन तक भर्ती रहा ।

15– यह कहना गलत है कि आरोपीगण ने चाकू, कत्ता, डंडा एवं अन्य हथियार से मारपीट नही किया गया है । यह कहना भी गलत है कि आरोपीगण मुझे मारपीट नही किये है ना ही मेरे पेट को लात से मारे है । यह कहना गलत है कि मैं घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नही थी । यह कहना गलत है कि मैं घटना होने के पश्चात् पहुंची थी स्वयं अपने आंख से नही देखी थी । यह कहना गलत है कि कृष्ण कुमार एवं उसके बेटे सुरेन्द्र के द्वारा आरोपी विरेन्द्र से मारपीट के दौरान बीच में नरेश के आ जाने से उसे चोट लग गयी थी ।

16– यह कहना गलत है कि मैं कृष्ण कुमार उसके बेटे सुरेन्द्र को बचाने के लिये सही बात नही बता रही हूं । यह कहना सही है कि मेरे ससूर विरेन्द्र दूसरी शादी कर लेने

के पश्चात् से मेरा पति गांव के घर में ही अपने दादा जी व चाचा चाची के साथ रहता था । यह कहना गलत है कि मेरे एवं नरेश के विवाह का खर्च भी आरोपी विरेन्द्र के द्वारा उठाया गया था । यह कहना गलत है कि मारपीट के दौरान मेरे पति को जो चोटे आयी थी, उक्त चोटे कृष्ण कुमार एवं उसके बेटे सुरेन्द्र के द्वारा कारित की गई थी ।

17– यह कहना सही है कि इसी घटना के संबंध में आरोपी विरेन्द्र के द्वारा मेरे पति एवं चाचा कृष्ण कुमार तथा उसके बेटे सुरेन्द्र के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया गया था जिसका मामला इस कोर्ट में लंबित है ।

18– मैं पुलिस को बयान देते समय यह बता दी थी "कार से निकालकर आरोपी राजेश चाकू लेकर और राकेश कत्ता लेकर और आरोपी कांति बास की डंडा लेकर मेरे पति नरेश कुमार को मारना शुरू कर दिये" वाली बात बता दी थी । मेरे पुलिस कथन प्र०डी–01 में यदि उक्त बाते ना लिखी हो तो मैं इसका कारण नही बता सकती ।

19– यह कहना गलत है कि मैं अपने चाचा एवं अपने देवर सुरेन्द्र को बचाने के लिये सही बात नही बता रही हूं । यह कहना गलत है कि मैं अपने चाचा एवं देवर सुरेन्द्र के कहने पर ही आरोपीगण के विरूद्ध झूठा कथन कर रही हूं ।

साक्षी को पढकर सुनाया, समझाया गया
सही होना स्वीकार किया गया ।

मेरे निर्देश पर टंकित ।

सही/–
(प्रियंका अग्रवाल)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर
जिला जांजगीर चांपा (छ०ग०)

सही/–
(प्रियंका अग्रवाल)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर
जिला जांजगीर चांपा (छ०ग०)

साक्षी का हस्ताक्षर